मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय : जबलपुर

//आवश्यक सूचना//

क्रमांक–307/परीक्षा/2023 जबलपुर, दिनांक–14.08.2023

म0प्र0 के जिला न्यायालयों में शीघ्रलेखक ग्रेड–2, शीघ्रलेखक ग्रेड–3, शीघ्रलेखक ग्रेड–3 (कोर्ट मैनेजर स्टाफ), सहायक ग्रेड–3 एवं सहायक ग्रेड–3 (इंग्लिश नोइंग) के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को जिलों का आवंटन मेरिट के आधार पर परीक्षा अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा **काउंसलिंग** (Counselling) के माध्यम से किया जाना है, जिस हेतु चयनित अभ्यर्थियों को दिनांक **20.08.2023 (रविवार)** को नीचे सारणी में दिये गये समय पर अनिवार्य रूप से **प्रशासनिक भवन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर** में उपस्थित होना है।

क्रमांक	चयनित पद	उपस्थित होने का समय
1	सहायक ग्रेड–3 (इंग्लिश नोईंग)	प्रातः 8:00 बजे से
2	शीघ्रलेखक ग्रेड–2/ शीघ्रलेखक ग्रेड–3/ शीघ्रलेखक ग्रेड–3 (कोर्ट मैनेजर स्टाफ)	प्रातः 08:30 बजे से
3	सहायक ग्रेड–3	दोपहर 11:30 बजे से

यदि कोई चयनित अभ्यर्थी उपरोक्त निर्धारित दिनाँक व समय पर उपस्थित नहीं होता है अथवा विलम्ब से उपस्थित होता है अथवा काउंसलिंग बीच में छोड़कर चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस अभ्यर्थी को जिले का आवंटन परीक्षा अनुभाग द्वारा उपस्थित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग उपरांत बचे जिले/जिलों में से किसी भी जिले में कर दिया जावेगा एवं इस संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। काउंसलिंग दिवस पर अभ्यर्थियों को निम्नलिखित तथ्यों का विशेष ध्यान रखना हैः–

1. चयनित अभ्यर्थियों को जिले का आवंटन मुख्य परीक्षा में उनकी मेरिट (अंतिम चयन सूची के क्रम) के आधार पर वरीयता देते हुए, जिस वर्ग में वह चयनित हुए हैं, उसी वर्ग के अनुसार किया जावेगा।
2. निर्धारित दिवस पर अभ्यर्थी को अपने साथ अपना वैधानिक फोटो युक्त मूल परिचय पत्र (आधार कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस आदि) एवं उसकी एक स्वप्रमाणित प्रतिलिपि लेकर उपस्थित होना है। अभ्यर्थी इस तथ्य का विशेष ध्यान दें कि फोटोयुक्त मूल–पहचान पत्र की फोटो कॉपी/डुप्लीकेट/स्कैन कॉपी मान्य नहीं होगी।

14.8.2023

3. काउंसलिंग दिवस पर चयनित अभ्यर्थी जिस जिले को चुनेगा, पदस्थापना के समय उसी जिले को विचार में लिया जावेगा। चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश अभ्यर्थी द्वारा चुने गये जिले के नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा। इस संबंध में परीक्षा अनुभाग, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश से किसी भी प्रकार का पत्राचार (अभ्यावेदन) अथवा दूरभाष संपर्क स्वीकार नहीं किया जावेगा।

4. काउंसलिंग दिवस में अभ्यर्थी के पसंदीदा जिले की अनुपलब्धता होने पर इस संबंध में किसी भी प्रकार का संवाद, अनुरोध स्वीकार नहीं होगा एवं यदि किसी अभ्यर्थी को उसका पसंदीदा जिला नहीं मिलता है, तो काउंसलिंग के पश्चात् भी इस संबंध में किसी प्रकार का पत्राचार (अभ्यावेदन) की अनुमति नहीं होगी।

5. काउंसलिंग केवल चयनित अभ्यर्थियों के लिए है, प्रतीक्षा सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों के लिये काउंसलिंग आयोजित नहीं हो रही है।

6. काउंसलिंग दिवस पर मेरिट अनुसार जिला चयन करने के बाद, किसी भी अभ्यर्थी का जिला परिवर्तित नहीं किया जावेगा ना ही किसी अन्य चयनित अभ्यर्थी से पारस्परिक सहमति से जिले का परिवर्तन किया जावेगा।

7. चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग स्थल तक आने/जाने के लिये किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8. काउंसलिंग हेतु उपस्थित सभी चयनित अभ्यर्थी अनुशासित रहेंगे, किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता स्वीकार्य नहीं होगी, काउंसलिंग कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार अथवा कदाचरण करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।

9. काउंसलिंग दिवस पर अभ्यर्थी के साथ आये अन्य व्यक्तियों/परिजनों/परिचितों को काउंसलिंग परिसर में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

10. काउंसलिंग परिसर में मोबाईल फोन लेकर आना मना है, साथ ही अपने साथ केवल एक पेन और कागज लेकर आवें।

14.08.2023

(संजय अग्रवाल)
रजिस्ट्रार (परीक्षा)